

REVISED PLAN

पत्रावली संख्या - III - 203

पंजीकृत डाक द्वारा

नवीन ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण

मुख्य प्रशासनिक भवन सेक्टर-6 नोएडा(उ0प्र0)

संख्या नोएडा/मु0वा0नि0/III - 203/537

दिनांक: 9/8/12

सेवा में,

M/s M. P. G. REALTY PVT. LTD.,
502, 5th Floor, Sachdeva Corporate Tower,
Plot No. - 17, Karkardooma,
Delhi-92

आपके प्रार्थना पत्र दिनांक 2.03.2012 के संदर्भ में आप द्वारा संशोधन सहित प्रस्तावित ग्रुप हाऊसिंग भवन निर्माण की भूखण्ड संख्या जीएच - 7बी, सैक्टर - 137, नोएडा पर निम्नलिखित शर्तों के साथ स्वीकृति प्रदान की जाती है:-

1. यह मानचित्र स्वीकृति की दिनांक से अधिकतम 5 वर्ष (निर्माण अवधि होने की दशा में) तक वैध है ।
2. मानचित्रों की इस स्वीकृति से इस भूखण्ड से सम्बन्धित किसी भी शासकीय निकाय जैसे (नगरपालिका, नोएडा प्राधिकरण) किसी अन्य व्यक्ति का अधिकार तथा स्वामित्व किसी प्रकार से भी प्रभावित(एफेक्टेड) नहीं माना जायेगा ।
3. भवन मानचित्र जिस प्रयोजन हेतु स्वीकृत कराया गया है केवल उसी प्रयोग में लाया जायेगा ।
4. यदि भविष्य में विकास कार्य हेतु कोई विकास व्यय माँगा जायेगा तो वह किसी बिना आपत्ति के देय होगा ।
5. दरवाजे व खिडकियाँ इस तरह से लगाये जायेंगे कि जब वह खुले तो उसके पल्ले किसी सरकारी भूमि या सडक की ओर बढाव(प्रोजक्टेड) न हों ।
6. विजली की लाईन से पाँच फुट के अन्दर कोई निर्माण कार्य न किया जायेगा ।
7. आवंटी द्वारा भवन सामग्री भूखण्ड के सामने रखने से सडक पर यातायात अवरुद्ध नहीं होना चाहिए ।
8. स्वीकृत मानचित्रों का एक सैट निर्माण स्थल पर रखना होगा ताकि उसकी मौके पर कभी भी जाँच की जा सके तथा निर्माण कार्य स्वीकृत मानचित्रों के स्पेसिफिकेशन नोएडा भवन नियमावली के नियमों के अनुसार ही कराया जायेगा । आवंटी तहखाने का निर्माण कार्य पूरा करने के उपरान्त तहखाने का भवन प्रकोष्ठ विभाग नोएडा द्वारा निरीक्षण कराने के बाद ही भूतल का निर्माण कार्य शुरू करेगा । अन्यथा स्वीकृत मानचित्र स्वतः निरस्त माना जायेगा ।
9. आवंटी मेजेनाइन तल/अन्य तल का स्वीकृत मानचित्र के अनुसार ही निर्माण करायेगा अन्यथा स्वीकृत मानचित्र स्वतः निरस्त माना जायेगा ।
10. सडक पर अथवा बैंक लेन में कोई रेम्प अथवा स्टैप्स नहीं बनाये जायेगे। वह कार्य अपनी ही भूमि पर करें ।
11. आवंटी द्वारा जल एवं मल की निकासी की व्यवस्था का निरीक्षण नोएडा(भवन प्रकोष्ठ) विभाग द्वारा करायेगा एवं निरीक्षण के उपरान्त ही आवंटी उसे ढकेगा ।
12. यह मानचित्र स्वीकृति की दिनांक से अधिकतम 5 वर्ष की अवधि तक वैध रहेगा बशर्ते पट्टेदार को पट्टे के अधिकार उपलब्ध हों अथवा उसको पुर्नजीवित करा लिया हो । पट्टे के अधिकार उपलब्ध/पुर्नजीवित न होने की दशा में मानचित्र की वैधता, पट्टे की वैधता तिथि तक समझा जायेगा ।
13. आवंटी को अधिभोग प्रमाण पत्र हेतु आवेदन करते समय सम्बन्धित विभाग से नियमानुसार समयवृद्धि पत्र प्राप्त कर प्रस्तुत करना होगा ।

- 14 आवंटी निर्माण कार्य शुरू करने के बाद तहखाने की छत डालने से पूर्व कुर्सी तल पर एवं भूतल की छत डालने से पूर्व भवन प्रकोष्ठ नोएडा द्वारा भवन का निरीक्षण अवश्य करायेगा ।
15. उत्तर प्रदेश अपार्टमेन्ट (Promotion of Construction, ownership & Maintenance) एक्ट, 2010; तथा इसके अधीन जारी निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करना होगा ।
- 16 पुनरीक्षित मानचित्र के सम्बन्ध में पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा विज्ञापित अधिसूचना संख्या 1067 दिनांक 14.9.06 में निहित प्राविधानों, इसमें समय-समय पर संशोधनों तथा उक्त मंत्रालय द्वारा अपेक्षित अन्य व्यवस्थाओं / निर्देशों के अनुसार पुनः पर्यावरण मूल्यांकन अनापत्ति प्रमाण पत्र भवन प्रकोष्ठ में प्रस्तुत करना होगा है तथा यह स्वीकृति मात्र पर्यावरण सम्बन्धित अनापत्ति प्राप्त करने हेतु ही अनुमन्य होगी, अनापत्ति प्रमाण पत्र करने के पूर्व यदि स्थल पर पूर्व स्वीकृति के अतिरिक्त किसी प्रकार का कोई निर्माण कार्य आरम्भ कराया जाता है तो स्वीकृति को निरस्त माना जायेगा एवं नोएडा भवन विनियमावली के अनुसार कार्यवाही की जायेगी ।

स्वीकृत मानचित्र इस पत्र के साथ सलेंगन है । भवन कार्य मानचित्र की वैधता तिथि के अन्दर पूरा होने के उपरान्त अधिभोग प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए आवेदन पत्र दें तथा बिना आज्ञा व प्रमाण लिए भवन को प्रयोग में ना लायें।

- भूखण्ड का क्षेत्रफल 33719.55 वर्ग मी0
- अनुमन्य भू-आच्छादित क्षेत्रफल @ 40% 13487.82 वर्ग मी0
- अनुमन्य एफ.ए.आर. @ 2.75 92728.76 वर्ग मी0

विभिन्न तलों पर किये गये पुनरीक्षित क्षेत्रफल का तलवार विवरण निम्नानुसार है:-

तल	अनुमन्य क्षेत्रफल (वर्ग मी0)	पूर्व स्वीकृत क्षेत्रफल एफ.ए.आर. (वर्ग मी0)	पुनरीक्षित क्षेत्रफल एफ.ए.आर. (वर्गमी0)
भूतल	11801.84	6397.00	461.5180
प्रथम तल		6203.06	5353.210
द्वितीय तल		6203.06	5531.813
तृतीय तल		6203.06	6003.639
चतुर्थ तल		6203.06	6003.639
पंचम तल		6203.06	6003.639
छटवां तल		6203.06	6003.639
सातवां तल		6203.06	5995.097
आठवां तल		6203.06	5975.078
नौवा तल		6203.06	5969.281
दसवां तल	शेष एफ0ए0आर0	6203.06	5969.281
ग्यारहवां तल		6203.06	5969.281
बारवां तल		6203.06	5963.484
तेरहवां तल		6203.06	5937.660
चौदहवां तल		5669.40	5932.964
पन्द्रहवां तल		...	710.856
सोलहवां तल		...	710.856
सत्रहवां तल		...	710.856
अट्ठारहवां तल		...	710.856
उन्नीसवां तल		...	710.856
कुल एफ.ए.आर.		92,706.18	92,631.142

[Handwritten signature]

तहखाना	सेटबैक छोड़ने के पश्चात	24433.264	29937.993
अपर तहखाना	शेष क्षेत्रफल		
लोअर तहखाना	(पार्किंग/सर्विसेज हेतु)		
स्टिल्ट तल
सेवा क्षेत्रफल		4819.936	12010.361
पूर्व में स्वीकृत कुल क्षेत्रफल	= 92,706.18 + 24,433.264 + 4,819.936		
	= 1,21,959.38 वर्ग मी0		
कुल पुनरीक्षित क्षेत्रफल	= 92,631.142 + 29937.993 + 12010.361		
	= 134579.496 वर्ग मी0		

कुल पुनरीक्षित भू-आच्छादित क्षेत्रफल = 7161.747 वर्ग मी0 (21.24)
पुनरीक्षित एफ0ए0आर0 = 92631.142 वर्ग मी0 (2.75%)

Map for the proposed Building is submitted per Bye
Laws and is required for approval please.
Architect

नाम..... 918
पद.....

नोएडा
वी. ए. देवपुजार
मुख्य सहायक निरीक्षक

प्रतिलिपि:

1. महाप्रबन्धक (ग्रुप हा0) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।
2. सेक्रेट्री
स्टेट लेवल एन्वारमेन्ट इम्पेक्ट एसिसमेंट अथोरिटी, उ0प्र0
डायरेक्टरेट ऑफ एनवायरमेन्ट,
डॉ0 भीमराव अम्बेडकर पर्यावरण परिसर, विनीत खण्ड - 1,
गोमती नगर, लखनऊ - 226010, उ0प्र0
को सादर सूचनार्थ ।